19/15 अनीता अग्रवाल / रामचन्द्र

22/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/2/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा अभिभाषक अनुपस्थित। पत्रावली में गत पेशी को उल्लेखितानुसार आज भी वादी पक्षकार और उनके अभिभाषक को रुक रुक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई। वादी और उनके अभिभाषक में से कोई भी उपस्थित नहीं हुये जिस पर प्रतिवादी की ओर से पुनः आपत्ति दर्ज कराई गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत पेशियों में लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय की पेशी पर वादी अथवा उनके अभिभाषक के लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Scanned by CamScanner